

समाहरणालय, मधेपुरा।

(जिला शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

श्री अविनाश कुमार सिंह पे० श्री विजय कुमार सिंह, ग्राम श्रीनगर पो० रामनगर महेश, थाना- श्रीनगर, जिला मधेपुरा ने लिखित रूप में आवेदन बायोडाटा के साथ समर्पित कर सूचित किया है कि इनके नाम से एन.पी.बोर पिस्टल अनुज्ञप्ति सं०-०१/२००६(कुमारखंड थाना) पर धारित शस्त्र सं०-६१४२१२ निर्गत है। इन्होंने अपने आवेदन में अंकित किया है कि श्रीनगर थाना से इसकी कोई सूचना नहीं मिलने के कारण निर्धारित तिथि को अपने शस्त्र का निरीक्षण नहीं करवा सका है। इन्होंने भविष्य में कोई गलती नहीं करने एवं शस्त्र अनुज्ञप्ति को निलंबन से मुक्त करते हुए निरीक्षण कराने का मौका देने का निवेदन किया है।

विदित हो कि इस कार्यालय के ज्ञापांक १६६/शस्त्र, दिनांक १२-१२-२०१३ के द्वारा पूर्व निर्धारित तिथि को अनुज्ञप्तिधारी उपस्थित होकर अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं विहित प्रपत्र में बायोडाटा समर्पित नहीं करने के कारण शस्त्र नियमावली-१९६२ की नियम-६३ एवं आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्ति की शर्त-९(ए) का उल्लंघन मानते हुए इनके नाम से निर्गत शस्त्र एन.पी.बोर पिस्टल अनुज्ञप्ति सं०-०१/२००६(कुमारखंड थाना) को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुज्ञप्तिधारी से स्पष्टीकरण पूछा गया था, जिसके आलोक में जवाब आवेदन प्राप्त हुआ है। इनके द्वारा समर्पित बायोडाटा में अपना उम्र ३४ वर्ष अंकित किया है। इनके द्वारा यह कहा जाना कि श्रीनगर थाना द्वारा शस्त्र भौतिक सत्यापन हेतु कोई सूचना निर्गत नहीं की है, जबकि जिला स्तर से मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी अनुज्ञप्तिधारियों को अपने-अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं बायोडाटा में विवरण समर्पित करने हेतु आम सूचना समाचार पत्र के माध्यम से निर्गत किया गया था। इनके अनुज्ञप्ति की छायाप्रति अवलोकन से ज्ञात होता है कि इनके अनुज्ञप्ति का नवीकरण वर्ष २०१४ तक के लिए अपर समाहर्ता, मधेपुरा द्वारा एवं भौतिक सत्यापन जिला स्तर पर प्राधिकृत पदाधिकारी या अंचल स्तर पर अं.अ. कुमारखंड द्वारा किया गया है, जो वर्ष २०१३ तक ही किया गया है। इसलिए श्रीनगर थाना से किसी प्रकार का सूचना निर्गत किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अनुज्ञप्तिधारी का यह कथन पूर्णतया नगण्य एवं सत्य से पड़े है, जो अनुज्ञप्ति शर्त के विलम्ब विपरीत है।

अतएव उल्लेखित परिपेक्ष्य में शस्त्र अनुज्ञप्ति शर्त एवं शस्त्र अधिनियम की धारा-१७ का उल्लंघन मानते हुए अनुज्ञप्तिधारी के अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए इनके नाम से निर्गत एन. पी. बोर पिस्टल अनुज्ञप्ति सं०-०१/२००६ (कुमारखंड थाना) को रद्द किया जाता है तथा अनुज्ञप्तिधारी श्री अविनाश कुमार सिंह पे० श्री विजय कुमार सिंह, ग्राम श्रीनगर पो० रामनगर महेश, थाना- श्रीनगर, जिला मधेपुरा को आदेश दिया जाता है कि वे अपना मूल शस्त्र अनुज्ञप्ति जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में एवं उस पर धारित शस्त्र कुमारखंड थाना मालखाना में पत्र प्राप्ति के २४ घंटा के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि श्री अविनाश कुमार सिंह द्वारा समर्पित मूल अनुज्ञप्ति पुस्त एवं शस्त्र शाखा में संधारित मूल अनुज्ञप्ति पंजी में " रद्द " प्रवृष्टि करवा कर हस्ताक्षर पृष्ठांकित कर देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

Amena
12/03/14

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक.....११...../शस्त्र, दिनांक.....१२-०३-२०१४.....

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याय प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ थानाध्यक्ष, कुमारखंड/ श्रीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री अविनाश कुमार सिंह पे० श्री विजय कुमार सिंह ग्राम श्रीनगर पो० रामनगर महेश, थाना- श्रीनगर, जिला मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

Amena
12/03/14

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।